

7-

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/एल-106/2026- / स्वा०, पटना, दिनांक / / 2026

डा० पुनम कुमारी, दन्त चिकित्सक, पटना दन्त महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना के द्वारा प्रथम संतान के प्रसव हेतु दिनांक-15.06.2026 से 11.12.2026 तक कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिन का उपभोगित/उपभोग की जानेवाली अवधि को वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में मातृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/एल-106/2026- 1341(2) पटना, दिनांक 17/12/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षक, पटना दन्त महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना/डा० पुनम कुमारी, दन्त चिकित्सक, पटना दन्त महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/12/26
सरकार के उप सचिव